


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 12, 1969/आषाढ 21, 1891

No 28]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 12, 1969/ASADHA 21, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 21 जून 1969 तक प्रकाशित किये गये ।

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 21st June, 1969.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
103	G.S.R. 1413, dated 16th June, 1969.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.	The Roller Mills Wheat Products (Ex-mill) Price Control (Second Amendment) Order, 1969.
104	G.S.R. 1414, dated 16th June, 1969.	Ministry of Finance.	Fixation of tariff value of Rs. 200/ per quintal for Sugar.
	सा० का० नि० 1415, वित्त मंत्रालय दिनांक 16 जून, 1969.		चीनी के लिये प्रति क्विन्टल 200.00 रुपए टैरिफ मूल्य नियत करना ।
105	G.S.R. 1478, dated 21st June, 1969.	Ministry of Finance.	The transfer of Residence Rules, 1969.
	सा० का० नि० 1478, वित्त मंत्रालय दिनांक 21 जून, 1969.		निवास स्थान अन्तरण नियम 1969.

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
106	G.S.R. 1480, dated 21st June, 1969.	Ministry of Finance,	Exempting certain goods mentioned in the Schedule therein from the provisions of section 11C, 11D, 11E and 11F of the Customs Act, 1962.
	सा० का० नि० 1481, वित्त मंत्रालय दिनांक 21 जून, 1969.		उपायुक्त अनुसूची में वर्णित माल को धारा 11-ग, 11-घ, 11-ड, और 11-च, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 से छूट देना।
107	G.S.R. 1482, dated 21st June, 1969.	Ministry of Finance.	Specifying certain excisable goods as excisable goods.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से 10 दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 1st July 1969

G.S.R. 1602.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 1776, dated the 30th November, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Second amendment) Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, after Serial No. 59 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	Research Assistant.	General Central Service Class III Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 210—10— 290—15— 320—EB—15 —425.	100 %	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

9	10	11	12	13
<i>Essential:</i>				
Below 45 years	(i) A degree in Economics, Statistics, Sociology or any other social science.	Two years	Not applicable	Not applicable
	(ii) Some experience in field investigation or statistical enquiries or research in Government or recognised research Institute or organisation.			
	(iii) Proficiency in statistics.			

[No. 17(13)/68-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

**निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय
(निर्माण और आवास विभाग)**

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1969

जी० एस्० आर० 1603:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय के निर्माण और आवास विभाग में अनुसंधान सहायकों (आवास) की भर्ती को विनियमित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) ये नियम निर्माण और आवास विभाग (अनुसंधान सहायक (आवास) भर्ती नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे।
- लागू होना** :—ये नियम एतदुपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती को लागू होंगे।
- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, उससे सम्बन्धित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।
- नियम शिथिल करने की शक्ति** :—जहां कि केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसे कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जायेंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय (निर्माण और आवास विभाग) के आवास प्रभाग में अनुसंधान

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान सहायक (आवास)	2	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 अ-राजपत्रित अनुसन्धीय	४० 325-15- 475-६० २००-20- 575	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सहायक आवास के पदों पर भर्ती नियम

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी	परिबीक्षा की काला-विधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है	यदि विभा-गीय प्रोन्नति समिति विद्य-मान है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थि-तियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण: लागू नहीं होता केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक जिनकी इस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा हो और जिन्हें आवास नीतियों और कार्यक्रमों का अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति की कालाधि धारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित हो।

[सं० 27/9/68-प्रशा-1]

शिवलाल वासुदेव, अवर सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)
New Delhi, the 22nd May 1969

G.S.R. 1604.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating